


## निर्णय

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पत्रावली कोर्ट केम्प गालाबेरी पर पेश हुई। कोर्ट केम्प में मजमे आम में पक्षकारान को आवाजे लगाई गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित हुआ। वादी ने मजमे आम में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में वाद-कारण समाप्त हो चुका है। उपस्थित मजमे आम द्वारा वाद-कारण समाप्त होने की जानकारी दी गई। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जावें।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद-कारण समाप्त हो जाने से वादी आगे वाद नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वाद-कारण समाप्त हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक)  
बडमेर

कमप्लिट  
पुष्पानन्द  
G 588 Galab

वादी